न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2455/2003/चित्तौड़गढ़

1— भैरू)
2— शंकर) पुत्र श्री गणेश जाति जाट निवासी सुरपुर
3— लहरू) तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
4— मीठू पिता हेमा जाति जाट निवासी सुरपुर तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।

....अपीलार्थीगण

बनाम

उदा पिता रघुराज, जाति जाट, निवासी सुरपुर, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।

....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री रवि डांगी, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः—
1—श्री ओ0 एल0 दवे, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से।
2—श्री के0 के0 पुरोहित, अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से।

——

निर्णय

दिनांकः 21—06—2022

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील सं0 152/2001 में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 21—02—2003 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई हैं।

2— संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/वादी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन के न्यायालय में एक वाद अधिनियम की धारा 88, 188 का विरूद्ध अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सुरपुर की भूमि खसरा नं0 1157 रकबा 0.86 हैक्टेयर, जिसका गत भू प्रबंध संवत् 2012 में खसरा नं0 1126 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा था, वादी एवं प्रतिवादी के शामिल में दर्ज थी। लेकिन वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच आराजियात शामलाती का विभाजन संवत् 2052 की पैमाईश में होकर वादी के नाम 1/2 व प्रतिवादी के नाम 1/2 हिस्सा अंकित होकर खाता अलग अलग हो गया। चालू पैमाईश में खसरा नं0 1157 रकबा 0.86 हैक्टेयर भी वादी

के हिस्से व कब्जे का होकर विभाजन में उसे मिला लेकिन सहबन से प्रतिवादी के नाम पर चालू जमाबंदी में अंकित हो गया, जो गलत है, क्योंकि वादी के खाते अभी 1/2 हिस्से में 6 बीघा 11 एयर ही दर्ज है जबकि 1/2 हिस्से में 7 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिए तथा प्रतिवादीगण के खाते में 8 हैक्टेयर 11 एयर दर्ज है तथा पुराना खाता 66 बीघा 8 बिस्वा का था जो पौने 14 हैक्टेयर 22 एयर का था। इस प्रकार वादी को भी कम से कम 7 हैक्टेयर भूमि 1/2 हिस्से के अनुसार मिलना चाहिए। वादी के हिस्से की भूमि खसरा नं0 1157 रकबा 0.86 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के नाम सहबन से अंकित हो गई। वादी का तन्हा कब्जा है इसलिए वादी के खसरा नं0 1157 रकबा 0.86 हैक्टेयर का खातेदार घोषित फरमाया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वादी के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करें। उक्त वाद पेश होने पर विचारण न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया, जिन्होंने जवाब पेश कर वाद के कथनों से इन्कार किया। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04–04–2001 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री सें अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21–02–2003 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–04–2001 को निरस्त कर दिया तथा वादी का वाद स्वीकार कर खसरा नं0 1157 रकबा 0.86 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई हैं।

3– हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रत्यर्थी/वादी द्वारा सहायक भू प्रबंध अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत् बंटवारा पेश किया गया, जिसमें वादी व प्रतिवादी के बयान लेकर आपसी सहमति से दोनों पक्षों में पत्रावली सं0 15/93 दिनांक 29–03–93 को निर्णय पारित कर बंटवारा किया गया उसी अनुसार विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी के अलग अलग खाते में दर्ज कर दी गई। उक्त तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट हो गया था, ऐसी स्थिति में उन्होंने वादी का वाद खारिज किया किन्तु प्रथम अपील न्यायालय ने तथ्यों को समझे बगैर अनुचित रूप से हस्तक्षेप करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर वादी के वाद को स्वीकार

करने में विधिक त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क था कि वादी को सहायक भू प्रबंध अधिकारी के उपरोक्त निर्णय व निर्णय की पालना में खोले गए नामान्तरकरण सं0 512 से आपत्ति व परेशानी थी तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौति देनी चाहिए थी परन्तु उसने आदिनांक तक नहीं दी गई। उनका तर्क था कि वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि उसने सहायक भू प्रबंध अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र लगाना स्वीकार किया है तथा शपथपत्र के आधार पर भू प्रबंध वालों ने हमारे बंटवारे किए थे व कब्जे के अनुसार पृथक पृथक इन्द्राज किए गए है। उनका यह भी तर्क था कि विचारण न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य के आधार पर वादी के वाद को सिद्ध नहीं पाया व उसे खारिज किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के वादी के वाद को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। उनका निवेदन था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम व अभिलेख के विपरीत है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार कर प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावें। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में 1963 आर0आर0डी0 पेज 100, ए0आई0आर0 1999 राज0 पेज 334, ए0आई0आर0 2001 एस0सी0 पेज 1866, ए0आई0आर0 2001 एस0सी0 पेज 2171, 2022 आर0आर0टी0 वो0 प्रथम पेज 13, उनवानी श्रीमति नाथी बनाम श्रीमति सोहनी एण्ड अदर्स व 1989 आर0आर0डी0 735 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

5— योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि सहायक भू प्रबंध अधिकारी ने जो बंटवारा आदेश जारी किया वह त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि विवादित आराजी खसरा नं0 1157 वादी के कब्जे का है, जिसके लिए गवाह पी0डब्लू0—2 व 3 व डी0डब्लू0—3 ने भी ताईद की है। कुल रकबा 66 बीघा श्री हेमा व खुराज के नाम संयुक्त दर्ज थी, जिसमें वादी के पिता खुराज का 1/2 हिस्सा है और उसके अनुसार 33 बीघा वादी के हिस्से व कब्जे की है परन्तु वर्तमार रेकार्ड में वादी के नाम 6.11 हैक्टेयर ही दर्ज है। अतः प्रथम अपील न्यायालय ने उचित व विधिसम्मत निर्णय प्रदान किया है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

6— हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा कुल 2 विवाद्यक विरचित किये गये थे। किन्तु उनके द्वारा दोनों

तनकियों पर विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपना निर्णय प्रदान नहीं किया गया अर्थात उनके द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की गई है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को निरस्त कर अपील स्वीकार की है, ऐसी स्थिति में उनका यह दायित्व था कि आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। उक्त परिप्रेक्ष्य में हम द्वितीय अपील को स्वीकार किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वे आदेश 20 नियम 05 सी0पी0सी0 में दिए गए आज्ञापक प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए विधिसम्मत निर्णय प्रदान करें।

8— परिणामतः हस्तगत् अपील को स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21—02—2003 व उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04—04—2001 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके द्वारा कायम किए गए विवाद्यकों पर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये रिकोर्ड पर उपलब्ध समग्र सामग्री यथा अभिलेख एवं दस्तावेजात अनुसार विवाद्यक—वार निष्कर्ष अंकित करते हुये नवीनतः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(रवि डांगी)
सदस्य